<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

17.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीयूष ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत फरीदाबाद, पालवाल, भिवाड़ी आदि में रियल एस्टेट धोखाधड़ी के संबंध में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में पूर्व प्रवर्तकों, वर्तमान समाधान पेशेवरों, निदेशकों और हरियाणा के पूर्व विधायक, महेंद्र प्रताप सिंह के परिसर शामिल थे, जो जेवी के माध्यम से एक वाणिज्यिक परियोजना में भागीदार हैं, जिसके बारे में संदेह है कि यह अन्य परियोजनाओं से निकाले गए घर खरीदारों के धन से बनाया गया है।

यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमीकियों पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि प्रमोटरों ने निवेशकों और घर खरीदारों को सुनिश्चित रिटर्न और समय पर कब्जा करने की पेशकश करके विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, पर्याप्त बुकिंग राशि एकत्र करने के बावजूद, परियोजनाएं काफी हद तक अधूरी रहीं, लंबे समय तक देरी के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया और रिफंड नहीं किया गया। प्राथमिकी में दस्तावेजों के मनगढ़ंत और जालसाजी, एक ही इकाई को कई खरीदारों को आवंटित करने और बैंक की सहमति प्राप्त किए बिना गिरवी रखी जमीन की धोखाधड़ी से बिक्री का भी आरोप लगाया गया है।

पालवाल, फरीदाबाद, भिवाड़ी, धारूहेड़ा और अन्य स्थानों पर अधूरी परियोजनाओं पर दोनों कंपनियों पर वर्तमान में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है। तलाशी के दौरान एकत्र की गई प्रारंभिक सामग्री से संकेत मिलता है कि समूह ने 2010 - 2018 के बीच की अवधि में 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की। 2,000 से अधिक घर खरीदारों/पीड़ितों के प्रभावित होने की बात कही गई है। कई परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण से पता चला है कि निर्माण या तो बहुत पहले रुक गया था या 50% से कम पूरा हुआ था।

स्व. अनिल गोयल और उनके पुत्रों स्व. पुनीत गोयल और अमित गोयल द्वारा प्रवर्तित पीयूष ग्रुप हरियाणा और राजस्थान में आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट विकास में लगा हुआ था। समूह ने पालवाल, फरीदाबाद, भिवाड़ी, धारूहेड़ा और अन्य स्थानों पर कई परियोजनाएं शुरू कीं। पीयूष कोलोनाइजर्स लिमिटेड और पीयूष शेल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित समूह की प्रमुख कंपनियों को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में शामिल किया गया था। CIRP के दौरान, फोरेंसिक ऑडिट में धन के महत्वपूर्ण डायवर्जन का संकेत मिला।

तलाशी कार्रवाई में अपराध-संकेती सामग्री जैसे कि दस्तावेज़, खातों की किताबें और डिजिटल डिवाइस के साथ-साथ कैश, ज्वेलरी और बैंक बैलेंस भी ज़ब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

आगे की जांच जारी है।